

1.	योजना का नाम	विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	विशेष योग्यजन श्रेणी के अभ्यर्थी जो संघ लोक सेवा आयोग की भारतीय सिविल सेवा परीक्षा या राजस्थान लोक सेवा आयोग की राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में, राष्ट्रीय स्तर के योजनान्तर्गत सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थान की प्रवेश परीक्षा में, राजस्थान राज्य के राजकीय इंजिनियरिंग/राजकीय मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, से है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	वर्ष 2011-12
4.	लाभान्वित वर्ग	40 या 40 प्रतिशत से अधिक विशेष योग्यजन
5.	पात्रता	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।</li> <li>2. अभ्यर्थी विशेष योग्यजन हो।</li> <li>3. विशेष योग्यजन (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये) से अधिक न हो। यदि अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक राजकीय सेवा में कार्यरत है तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।</li> <li>4. अभ्यर्थी द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया गया हो।</li> <li>5. अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले लिया हो।</li> </ol>
6.	देय सुविधाएं	रुपये 5,000 से लेकर 65,000 तक अनुदान राशि दी जाती है।
7.	आवेदन का तरीका	सम्बन्धित जिले के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में आवेदन वांछित दस्तावेजों सहित करना होगा।
8.	आवेदन कहां किया जावे	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	<ul style="list-style-type: none"> <li>● विकलांगता प्रमाण-पत्र</li> <li>● आय प्रमाण-पत्र</li> <li>● मूल निवास प्रमाण-पत्र</li> <li>● आय का शपथ पत्र</li> <li>● उत्तीर्ण/अंतिम चयन का दस्तावेज</li> </ul>
10.	सम्पर्क सूत्र	सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालय में।